# प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

**5 days "TOT of Women Constable for Self Defence"**

दिनांक **13-06-2022 से 17-06-2022**

## राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

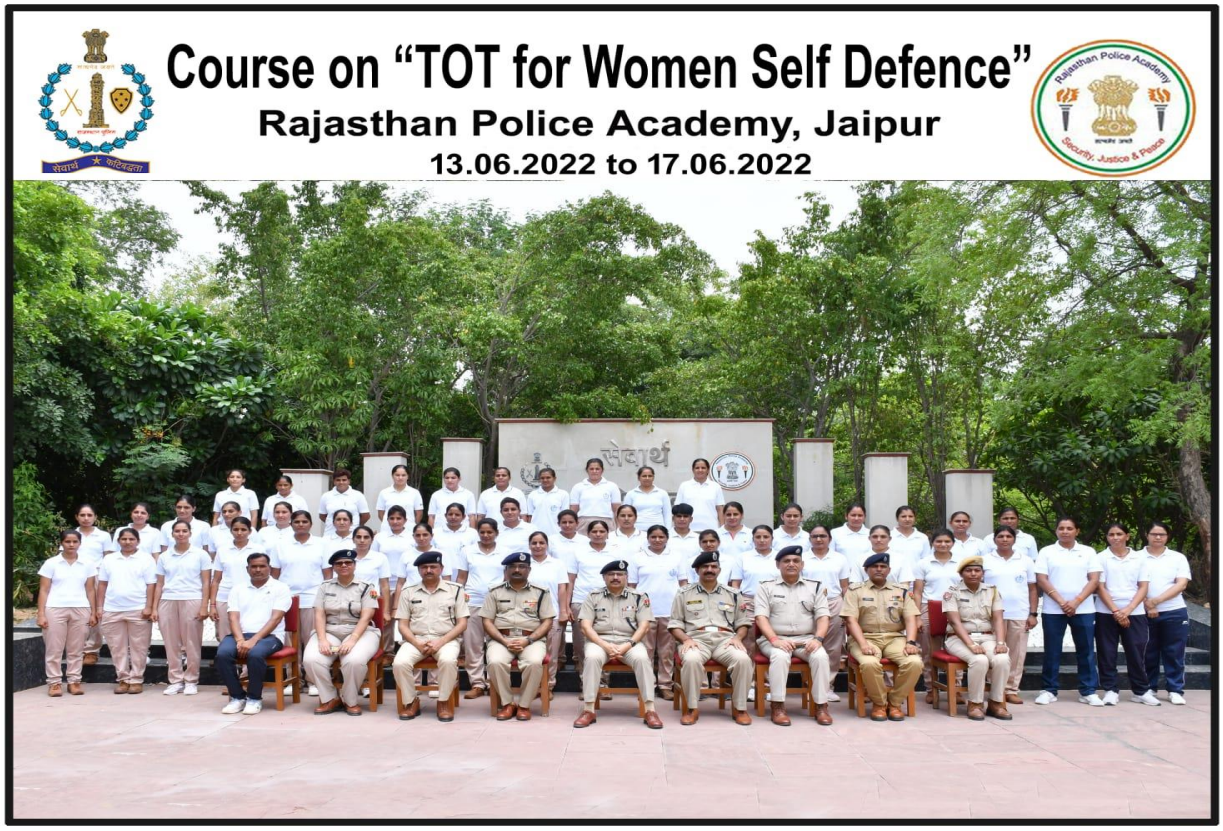


राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **13-06-2022** से **17-06-2022** तक **"Self Defense Techniques For Women Police Constable "** विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आडिटोरियम में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक श्री कैलाश चन्द्र, उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त निदेशक आरपीए जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से **132** महिलाओं प्रतिभागियों जिसमें 01 हैड कानि0, **131** महिला कानि0 ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:15 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्रीमती सुनीता मीणा, पुलिस उपायुक्त निर्भया स्क्वाड, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, ने बर्फ तोड़ने वाला सत्र और आत्मरक्षा कैसी करनी चाहिए एवं आत्मरक्षा इनडोर और नियमित जीवन तकनीक के बारे में विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में डॉ. सुमन डाका, एसो0 प्रो. आरपीए, जयपुर ने लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। द्वितीय सत्र में श्री मनोज रमन, साइबर सलाहकार,

जयपुर ने वेब पर बच्चों को सुरक्षित रखना, बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाना और सोशल मीडिया पर साइबर अपराधों से बचाव पर व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए जयपुर, ने बाल श्रम अधिनियम 1986 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 शॉर्ट फिल्म-छोटी से उमर के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ, आरपीए जयपुर ने बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दे लघु फिल्में कोमल और कहानी पर विस्तार से बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती हेमलता शर्मा, सामाजिक गतिविधियां ने यौन अपराधों से निपटने के लिए जीवन कौशल (किशोर लड़कियों के लिए 10 मुख्य जीवन कौशल पर चर्चा) के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में डॉ. विनीता गोखरू, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कांवटिया अस्पताल, जयपुर ने महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताया।

पंचम दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती सीमा हिंगोनिया, एडी (आउटडोर), आरपीए, जयपुर ने बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित उभरते मुद्दे और महिला सुरक्षा से संबंधित कानून के बारे में बताया। कोर्स के समापन में श्री कैलाश चन्द्र, उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त निदेशक आरपीए जयपुर ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

महोदय जी उक्त कोर्स **TOT** में कुल **132** महिला कानिस्टेबल ने भाग लिया उसमें से **24** महिला कानिस्टेबल पूर्व में कोर्स कर चुकी है। और अपने जिलों में कोर्स चला रही है। यह कोर्स **TOT** उन्ही प्रतिभागियों के लिये उपयुक्त रहेगा जो कि पहले यह कोर्स कर चुकी है । चूंकि **132** में से केवल **24** महिला कानिस्टेबल ही जिलों में जाकर यह कोर्स करवा सकती है ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो भी महिलाए कोर्स में भेजी जाती है वे कम उम्र **30** वर्ष व शारीरिक रूप से फिट हो उन्ही को भेजा जाना उचित रहेगा। इस कोर्स में लगभग **7** महिलाएँ ऐसी थी जिनकों पैर व हाथ में चोट थी व एक महिला गर्भवती थी। अत: निवेदन है कि **TOT** में सिर्फ एक बार में **50** महिला कानि0 को भेजा जाना उचित रहेगा ताकि जिलों में पहले यह कोर्स करवा रही है। निवेदन है कि नवनियुक्त महिला कानि0 का नोमिनेशन होता है तो एक सप्ताह में उनको इन्टेक्टर ऐवेलिटी सीखना मुश्किल है उसके लिए **04** सप्ताह का अलग से कोर्स निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**हस्ताक्षर**
**कोर्स निदेशक**